न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

वाद संख्या :— 112/2024

उनवान

1. नाथूलाल पुत्र स्व0 श्री चुन्नीलाल उम्र वर्ष,जाति ब्राहमण निवासी श्याम कॉलोनी शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

– प्रार्थी

बनाम

1. अशोक पुत्र मूलचंद
2. पवन पुत्र मूलचंद
3. नवल पुत्र मूलचंद
4 रोहिताश पुत्र मूलचंद
5 प्रभाती पत्नी मुलचंद
6 छीतर पुत्र भूरा
7 जगदीश पुत्र नानू
8 मुरलीधर पुत्र प्रभात
9 पुष्पेन्द्र पुत्र पूरण
10 लोकेश पुत्र पूरण
11 रजनी पुत्री पूरण
12 मंजू देवी पत्नी पूरण

समस्त व्यस्क जाति ब्राहमण निवासी ढाणी जोशी वाली तन राजपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज)

13 भूरामल पुत्र प्रभात
14 मुरलीधर पुत्र प्रभात
15 हनुमान सहाय पुत्र प्रभात
16 मालीराम पुत्र रामनाथ
17 हरफुल पुत्र रामनाथ
18 रामस्वरूप पुत्र रामेश्वर
19 सुल्तान पुत्र सूरज

समस्त जाति यादव निवासी राजपुरा तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर(राज0)

20. पतासी पत्नी अर्जूनलाल जाति जोगी उम्र व्यस्क निवासी राजपुरा तहसील शाहपुरा

21.तहसीलदार,शाहपुरा तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक —— 30/01/2025

उपस्थितः— प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मदनलाल जाट

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैकि हाल आराजी खं0नं0 392/828 रकबा 0.16 वाकै ग्राम राजपुरा पटवार हल्का बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं । प्रार्थी संख्या 01 उक्त खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त व अपने उपयोग–उपभोग में लेता आ रहा हैं । प्रार्थी संख्या 01 दिनांक 27.06.24 को तहसीलदार शाहपुरा के आदेश क्रमांक/सीमाज्ञान/2024/37 दिनांक 03.06.2024 की पालना में आ0खं0 392/828 रकबा 0.16 हैक्टर वाकै ग्राम राजपुरा पटवार हल्का बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा सीमाज्ञान किया गया । प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने के बावजूद प्रार्थी की आराजी ख0नं0 392/828 रकबा 0.16 हैक्टर के पास स्थित आराजी काश्तकार अप्रार्थीगण 1 लगा0 20 व उनके परिवारजन द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि की सीमाओ पर जबरन ताकत के बल पर अतिक्रमण कर भूमि की सीमा काटकर अपनी भूमि में मिलाने की लगातार धमकी प्रार्थी को दे रहे हैं ।
अतः प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के आधार पर अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के अनुसार पत्थर गढी करवाना चाहते हैं । प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र पेश होने पर रिर्पोट सरिस्ता ली जाकर तथा प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये रजि0 एडी से सूचित किया गया । अप्रार्थीगण 1 लगा0 20 की जरिये जरिये रजि0 एडी से तामील हो चुकी हैं लेकिन बावजूद तामील के अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 20 अनुपस्थित रहे एवं ना ही उनकी ओर से कोई जवाब आराजी ख0नं0 2276/0.05, 2277/0.10, 2356/0.15 2357/1.65,कुल किता 4 कुल रकबा 1.95 हैक्टर भूमि वाकै ग्राम भोमदास नगर पटवार हल्का रामपुरा पेश किया गया । अप्रार्थीगण के विरूद्व विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । तहसीलदार शाहपुरा से प्रकरण में रिर्पोट प्राप्त हो चुकी हैं ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सीवडोल काटने से आये दिन होने वाले विवादो की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहते हैं । पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार हैं, तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद ,सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेंबाजी से बचाव का यह एक उपाय हैं, जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमाचिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नही कर सकते हैं । प्रार्थी की मौके पर पत्थरगढी नही होने व असंतुष्ट होने के कारण तथा मौके पर सीमाज्ञान होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि हाल आ0ख0 नं0 392/828 रकबा 0.16 हैक्टर वाकै ग्राम राजपुरा टवार हल्का बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सूचित रते हुये एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुये उनकी उपस्थिति के ताबिक सीमाज्ञान दिनांक 27.06.2024 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी रवाये जाने का आदेश दिया जाता है । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)